

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर, 2016-कार्तिक 20, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

(Original Company Jurisdiction)

Comp. Petition No. 38 of 2016

And in the matter of Section 391 to 394 of the Companies Act, 1956 and in the matter of Scheme of Arrangements and Amalgamation amongst M/s. SEZ Indore Limited and M/s. Crystal IT Park Indore Limited with M/s. Madhya Pradesh Audhyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Limited and respective the Shareholders and Creditors of these companies.

SEZ Indore Limited

First Transferor Company

Crystal IT Park Indore Limited

Second Transferor Company

Madhya Pradesh Audhyogik Kendra

Vikas Nigam (Indore) Limited

Transferee Company

FORM No.5

NOTICE OF PETITION

[Under Rule 80 of the Companies (Court) Rules, 1959]

A Petition under Section 391 to 394 of the Companies Act, 1956 for sanction of Scheme of Arrangements and Amalgamation amongst SEZ Indore Limited and Crystal IT Park Indore Limited with Madhya Pradesh Audhyogik Kendra Vikas Nigam (Indore) Limited and respective the Shareholders and Creditors of these companies was presented on 14.09.2016 before the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore and firstly listed before the Company Judge on 4th October, 2016 and now the

said petition is fixed for further hearing before the Company Judge on **28th November, 2016**. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, a notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Place: Indore

Date: 13-10-2016

(466-B.)

LUCKY JAIN,

(Advocate)

M. Munshi & Associates,

Advocates & Solicitors,

304-306, Navneet Plaza,

5/2, Old Palasia, Indore.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कल्पना देवी पिता श्री नाथूराम साहू था. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती अंजली साहू पति श्री अनिल कुमार साहू हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमती अंजली साहू पति श्री अनिल कुमार साहू के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कल्पना देवी)

पिता श्री नाथूराम साहू.

(456-बी.)

नया नाम :

(अंजली साहू)

पति श्री अनिल कुमार साहू,
90, मरीमाता का बगीचा, जबरन कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. अभिलाषा गोलवलकर पिता श्री चन्द्रशेखर गोलवलकर था और शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती खुशाली उमडेकर पत्नी श्री सौरभ उमडेकर हो गया है.

अतः भविष्य में मुझे इसी नाम श्रीमती खुशाली उमडेकर पत्नी श्री सौरभ उमडेकर से जाना-पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :

(कु. अभिलाषा गोलवलकर)

(467-बी.)

नया नाम :

(खुशाली उमडेकर)

पता-सरस्वती निवास फालके की गोठ,
राम मंदिर चौराहा, लश्कर,
ग्वालियर, (म.प्र.) पिन कोड-474001.

उप-नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा मैं अशोकचंद्र अग्रवाल पिता श्रीकिशन अग्रवाल, निवासी महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश का होकर मेरे प्रारंभिक सभी शासकीय, अशासकीय प्रपत्रों में मेरा उक्त नाम भी प्रचलित रहा है जिसका उपयोग मैंने सेना में रहते हुए भी किया है किन्तु सेना से सेवा निवृत्ति के बाद शासन के नियमानुसार मुझे शिक्षक पद पर जो नियुक्ति मिली है उसमें मेरा नाम अशोक मित्तल पिता श्रीकिशन अग्रवाल का नाम दर्ज हुआ है जो निगाह चूक से हुआ है उक्त त्रुटि को सुधार हेतु एवं मेरे शिक्षक पद के समस्त रिकार्ड में पेशन प्रकरण सहित में मेरा नाम सभी वैधानिक दस्तावेजों के अनुसार अशोकचंद्र अग्रवाल पिता श्रीकिशन अग्रवाल का नाम दर्ज हो व प्रचलन में रहे है और उपनाम मित्तल है, इसलिए विभिन्न रिकार्ड में अग्रवाल व मित्तल दोनों का उल्लेख हुआ है.

सूचनादाता-

(अशोकचंद्र अग्रवाल)

पिता श्रीकिशन अग्रवाल,

निवासी-महेश्वर, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश).

(468-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Jitendra Mishra here by declare that I have change my name as Yatindra Kumar Mishra. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(JITENDRA MISHRA)

(469-B.)

New Name :

(YATINDRA KUMAR MISHRA)Add :-6/1, Palasia Police Lines,
Indore, (M.P.).**उप-नाम परिवर्तन**

यह कि मेरा पूर्व में नाम अर्चित बडजात्या पिता संजय कुमार बडजात्या था. वर्तमान में मेरा नाम अर्चित जैन पिता संजय कुमार जैन हो गया है. अतः भविष्य में मुझे अर्चित जैन पिता संजय कुमार जैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अर्चित बडजात्या)

पिता संजय कुमार बडजात्या.

(470-बी.)

नया नाम :

(अर्चित जैन)पिता संजय कुमार जैन,
फुलवाली गली, शनवारा,
जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विजय सिक्वोरिटी गार्ड सर्विसेस 8/2, नई गल्ला मंडी, कॉपलेक्स, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 04/16/04/00378/12, सन् 2011-12 को पंजीकृत है. जिसमें श्री विजय सिंह कौरव, ग्राम कामती, पोस्ट आमगांव (छोटा), तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर एवं राजेश त्रिपाठी पिता श्री हर्ष नारायण त्रिपाठी, निवासी म. नं. 570, मानेगांव चम्पानगर खमरिया (रांझी), जबलपुर फर्म में है दिनांक 10-10-2016 को श्री राजेश त्रिपाठी म. नं. 570, मानेगांव चम्पानगर खमरिया (रांझी), जबलपुर फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा उक्त दिनांक को श्रीमति प्रीति कौरव ग्राम कामती पोस्ट आमगांव (छोटा), तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

फर्म का वर्तमान पता-8/2, नई गल्ला मंडी, कॉपलेक्स, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर है. जिसे परिवर्तन कर नया पता गायत्री नगर, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर कर दिया गया है. अतः किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म को आपत्ति हो, तो 7 दिवस के अंदर फर्म कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

(471-बी.)

विजय सिंह कौरव,
Vijay Security Guard &
House Keeping Services.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स दिव्यालय एण्ड कम्पनी, बालाघाट, ईतवारी बाजार, बालाघाट, जिला बालाघाट पार्टनरशिप फर्म की संरचना में परिवर्तन किया गया है, इसमें पूर्व में तीन साझेदार-1. श्रीमती धापीबाई जैन, 2. श्रीमती आशा हीरावत, 3. श्री सुधीर रॉय थे. फर्म के द्वारा दिनांक 27-7-2006 को श्री नीरज हीरावत को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. इसी प्रकार 01-07-2016 को श्री अशोक जैन एवं श्री कमलेश जैन को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. फर्म से दिनांक 01-07-2016 को 1. श्रीमती धापीबाई जैन, 2. श्रीमती आशा हीरावत, 3. श्री सुधीर रॉय तथा 4. श्री नीरज हीरावत द्वारा अपनी स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्ति ली गई है.

अतः किसी को कोई आपत्ति हो, तो वे सात दिवस के अंदर अपनी आपत्ती प्रस्तुत करें.

(472-बी.)

मेसर्स दिव्यालय एण्ड कम्पनी,
कमलेश जैन,
(भागीदार)
बालाघाट.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. यशराज कम्प्यूटर्स शॉप नं. 2, टंडन कॉम्प्लेक्स, गायत्री गेट के पास दमोह, एक भागीदारी फर्म है, उक्त भागीदारी फर्म में 1. अंशुल श्रीवास्तव, 2. प्रशांत यादव, 3. राकेश साहू, 4. अवधेश कुमार गोस्वामी, 5. रविप्रकाश गोस्वामी भागीदार थे. जिसमें से राकेश साहू दिनांक 16 अगस्त, 2016 को स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. इस तरह उक्त फर्म मै. यशराज कम्प्यूटर्स में अब निम्न चार भागीदार हैं. 1. अंशुल श्रीवास्तव, 2. प्रशांत यादव, 3. अवधेश कुमार गोस्वामी, 4. रविप्रकाश गोस्वामी. इससे सम्बन्धित किसी को अगर कोई आपत्ति हो, तो इस प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर निम्नलिखित पते पर सूचित करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.

सुमित अरेले,
(एडव्होकेट)

(474-बी.)

न्यू पुलिस कॉलोनी, दमोह.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मै. तिश्य कम्प्युनिकेशन्स सर्विसेस, शॉप नं. 2, टंडन कॉम्प्लेक्स, गायत्री गेट के पास दमोह, एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 06/10/01/001/139/15, दिनांक 08 जनवरी, 2015 को पंजीकृत की गई थी, उक्त भागीदारी फर्म में 1. अंशुल श्रीवास्तव, 2. प्रशांत यादव, 3. राकेश साहू, 4. अवधेश कुमार गोस्वामी, 5. रविप्रकाश गोस्वामी भागीदार थे. जिसमें से राकेश साहू, दिनांक 16 अगस्त, 2016 को स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. इस तरह उक्त फर्म मै. तिश्य कम्प्युनिकेशन्स सर्विसेस में अब निम्न चार भागीदार हैं, 1. अंशुल श्रीवास्तव, 2. प्रशांत यादव, 3. अवधेश कुमार गोस्वामी, 4. रविप्रकाश गोस्वामी. इससे सम्बन्धित किसी को अगर कोई आपत्ति हो, तो इस प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर निम्नलिखित पते पर सूचित करें. उपरोक्त अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.

सुमित अरेले,
(एडव्होकेट)

(473-बी.)

न्यू पुलिस कॉलोनी, दमोह.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक सतना, जिला के समक्ष.

यतः कि श्री बाबूलाल प्रजापति पिता स्व. ददी प्रजापति, निवासी टिकुरिया टोला, डालीबाबा रोड, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | स्व. शांतीदेवी प्रायवेट न्यास ट्रस्ट, टिकुरिया टोला, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | ग्राम डेलौरा की आ. नं. 167, 168/1, 168/2क कुल रकबा 6.39 एकड़. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 1,00,000.00 रुपये एफ. डी. |

प्रारूप-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा(4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 30 नवम्बर, 2016 भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

(765)

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक, सतना, जिला के समक्ष.

यतः कि श्रीमती गुलाबरानी ताम्रकार पत्नी स्व. शंकर प्रसाद ताम्रकार, निवासी रामेश्वरम् आदर्श नगर, रीवा रोड, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. न्यास का नाम व पता | : | पदमाशंकर चेरिटेबल ट्रस्ट, रामेश्वरम, आदर्श नगर, रीवा रोड, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 11,000.00 रुपये. |

प्रारूप-5

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा] लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा(4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, बलवीर रमण, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में नियत दिनांक 30 नवम्बर, 2016 भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

(765-A)

बलवीर रमण,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, अनुभाग सागर, जिला सागर

फार्म-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री अतुल निज्ञावन पिता तिलकराज निज्ञावन, निवासी गुरुगोविन्द सिंह वार्ड सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "एकनाथ स्मृति सेवा न्यास" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 09 नवम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास का सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	एक नाथ स्मृति सेवा न्यास.
पता	:	बंदना गरुघाट परकोटा सागर.
चल सम्पत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक में जमा राशि 11000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में कुछ नहीं.

(766)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र.15बी/113/वर्ष 2015-16.

मौजा परकोटा, सागर

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अतुल निज्ञावन पिता तिलकराज निज्ञावन, निवासी गुरुगोविन्द सिंह, वार्ड सागर द्वारा नियम-4(1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "एकनाथ स्मृति सेवा न्यास" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके पदाधिकारीगण/सदस्यगण निम्नानुसार हैं:-

1. अतुल निज्ञावन पिता तिलकराम निज्ञावन, निवासी गुरुगोविन्द सिंह वार्ड, सागर.
2. ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव पिता हरिशंकर श्रीवास्तव (अधिवक्ता), निवासी शिवाजी वार्ड, सागर.
3. सतीश कुमार पिता शंकरदयाल जोशी, निवासी (शिक्षक) शनीचरी टौरी, सागर (सचिव).
4. गौरीशंकर चौबे पिता रामसेवक चौबे (चिकित्सक) निवासी पदमाकर नगर, मकरोनिया.
5. भूपेन्द्र पिता ग्याप्रसाद पाराशर (सामाजिक कार्यकर्ता), निवासी-1322 केशवकुटी, जबलपुर.
6. आलोक मेहता पिता घनश्याम (सामाजिक कार्यकर्ता), निवासी मोहन नगर, वार्ड सागर.
7. रविकांत गुप्ता (पदेन) पिता छोटेलाल (सामाजिक कार्यकर्ता), निवासी रेवाकुंज सूखखार डिण्डोरी, मध्यप्रदेश.

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा. न्यास का नाम पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

लोक न्यास का नाम	:	एक नाथ स्मृति सेवा न्यास.
पता	:	बंदना गरुघाट परकोटा सागर.
चल सम्पत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक में जमा राशि 11,000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में कुछ नहीं.

- ट्रस्ट का उद्देश्य :
1. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/ट्रस्टों/निगमों/नगरपालिकाओं/संस्थाओं व समितियों से तथा व्यक्तियों से भूमि व भवन पट्टे पर बिक्री से या दान से प्राप्त करना तथा न्यास की जो सम्पत्ति हो उसको बेचना, हस्तांतरित करना, परिवर्तन करना, बंधक रखना, उसकी व्यवस्था करना या उसके संबंध में जो भी तय हो वैसा व्यवहार करना.
 2. उपयुक्त स्मारक बनाना, भवन बनवाना, उसकी मरम्मत आदि करवाना, उसमें परिवर्तन आदि करना तथा उन्हें उचित रूप से सूसज्जित करना तथा ऐसी संस्थाओं को लायसेंस या पट्टे पर देना जो न्यास के मत से उन्हीं या समान उद्देश्य की पूर्ति के लिये हो.
 3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यक्तियों या संगठनों से नगर या अन्य प्रकार से दान प्राप्त करना.
 4. सामान के उद्देश्यों में प्रेरित संस्थाओं के कार्य में सभी प्रकार के सहयोग करना जिसमें आर्थिक सहयोग भी शामिल है और न्यास द्वारा उचित समझे जाने पर उसके न्यासी के रूप में कार्य करना.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो, तो वह पेशी दिनांक 09 नवम्बर, 2016 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 09 नवम्बर, 2016

जारी दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

संतोष चंदेल,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

(766-A)

न्यायालय पंजीयन, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरदारपुर, जिला धार

प्रकरण क्र./ /2015-16/सी-113.

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

तहसील सरदारपुर,

जिला धार के समक्ष.

चूंकि श्री मुल्ला जौहर मुल्ला ताहेरअली जिनवाला, निवासी जिन कम्पाउण्ड राजोद, जिला धार द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत दाउदी बोहरा जमाद ट्रस्ट राजोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 पर विचार के लिये लिया जावेगा.

2. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, नियत दिनांक तक प्रस्तुत करें.

3. अतः मैं, अभयसिंह ओहरिया, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार का लोक न्यास पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

4. उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और आपत्ति को प्रस्तुत करने पर विचार करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्ति या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन,)

लोक न्यास का नाम व पता : श्री मुल्ला जौहर मुल्ला ताहेरअली जिनवाला,
: निवासी-जिन कम्पाउण्ड राजोद, तहसील सरदारपुर, जिला धार.

2. लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण-

क्रमांक	चल सम्पत्ति	अचल सम्पत्ति	अनुमानित कीमत
1.	-	निरंक	-
2.	5,300/- पाँच हजार तीन सौ रुपये मात्र.	-	-

अभयसिंह ओहरिया,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(776)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

रा.प्र.क्र.02/बी-113(1)/2015-16.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का तीसवां संशोधन की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

आवेदकगण बाबूलाल डोंगरे एवं अन्य-14, न्यासी उमरानाला, तहसील मोहखेड द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अधीन लोक न्यास के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. न्यास का उद्देश्य हिंदूधर्म एवं हिन्दु संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये धार्मिक शैक्षणिक एवं प्रचारात्मक गतिविधियों को संचालित करना, प्रोत्साहित करना और संरक्षण प्रदान करना जिससे समाज में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक व धार्मिक उत्थान में सहायता होकर भारतीय जीवन मूल्यों की व संस्कृति की प्रतिस्थापना हो पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, चिकित्सालय एवं संस्कार केन्द्र खोलना है.

अतः जो भी व्यक्ति इस न्यास के सम्बन्ध में या सम्पत्ति के बारे में हित रखता हो या जो भी प्रकरण में आपत्ति तथा अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह दो प्रति में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से 30 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिकृत अभिकर्ता/अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात् की गई आपत्ति या सुझाव आदि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम और पता : सार्वजनिक शिवालय, ओंकारधाम, उमरानाला,
तहसील-मोहखेड, जिला छिन्दवाड़ा.

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण : चल सम्पत्ति-निरंक.
अचल सम्पत्ति-ग्राम ईकलबिहरी,
ख. नं. 566 रकबा 0.384 हे. मे.

डी. एन. सिंह,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(778)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 18 जून, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/985.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-B)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1174, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/986.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3)

एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-C)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमालियापाल,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/987.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-D)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमरदीपुरा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1190, दिनांक 20 जनवरी, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/988.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-E)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदा,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/989.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.

3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-F)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पतोली,

तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 19 जनवरी, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/990.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-G)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियादया,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1112, दिनांक 11 नवम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/991.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-H)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जाबडियाधरवास,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 977, दिनांक 12 अगस्त, 2008.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/992.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-1)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंझानिया,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/993.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-J)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलसामी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/994.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-K)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमलाय,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 19 जनवरी, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/995.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-L)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोनी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1130, दिनांक 20 नवम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/996.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-M)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमरियाताज,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1208, दिनांक 11 जून, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/997.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-N)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोदिया,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1171, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/998.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-O)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मो. बडोदिया,
तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1204, दिनांक 11 जून, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/999.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-P)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मीरपुरा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1000.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(775-Q)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोडाखेडी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1155, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/1001.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(775-R)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलोदा,
तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1152, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/1002.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(775-S)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजमेरी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1187, दिनांक 19 जनवरी, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1003.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(775-T)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बटवाडी
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 20 जनवरी, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1004.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-U)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटखेडी,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1005.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-V)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अदलीमखेडी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 991, दिनांक 13 फरवरी, 2009.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1006.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(775-W)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शेरपुरा,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 28 मार्च, 2002.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1007.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(775-X)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरखेडी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 12 अगस्त, 2012.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1008.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-Y)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहानपुर,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1009.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(775-Z)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोसला,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 19 जनवरी, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1010.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(777)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोकरगाँव,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1206, दिनांक 11 जून, 2015.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1011.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(777-A)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झौकर,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 190, दिनांक 25 मई, 1981.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1012.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(777-B)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुण्डी,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 27 जुलाई, 2011.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1013.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(777-C)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावदा,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 25 जनवरी, 1980.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1014.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(777-D)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटखेडी,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1015.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(777-E)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निछमा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 368, दिनांक 20 मार्च, 1986.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1016.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(777-F)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सखेडी,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 11 नवम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1017.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें.

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

(777-G)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा हरि बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खामखेडा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक , दिनांक

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1018.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(777-H)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा केशव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किलोदा,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 31 मई, 2013.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1019.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(777-I)

शाजापुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा प्रशासक जय माँ शीतला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
खोरियाएमा, तहसील मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 23 दिसम्बर, 2014.

विषय :- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1020.—विषयांतर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावे।

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था के संचालन में रुची न लेने के कारण.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही.
3. संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु लिखित आवेदन किया गया है.

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं. आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

मीना डाबर,
उप-पंजीयक.

(777-J)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला-कटनी

कटनी, दिनांक 22 सितम्बर, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/1281.— विश्वनाथ प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., बरही, पं. क्र. 174, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/324, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था विश्वनाथ प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., बरही, पं. क्र. 174, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(764)

कटनी, दिनांक 22 सितम्बर, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/1282.— साईं प्रा. सह. भण्डार मर्या., सी. एल. पी. पाठक, वार्ड पं. क्र. 92, दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/1554, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित है, का प्रयोग करते हुये संस्था साईं प्रा. सह. भण्डार मर्या., सी. एल. पी. पाठक, वार्ड पं. क्र. 92, दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(764-A)

कटनी, दिनांक 22 सितम्बर, 2016

क्र./संपक/परिसमापन/16/1283.— हरिओम प्रा. उप. सह. मर्या., सी. एल. पी. पाठक, वार्ड पं. क्र. 172, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/322, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था हरिओम उप प्रा. सह. भण्डार मर्या., सी. एल. पी. पाठक, वार्ड पं. क्र. 172, दिनांक 06 जून, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भरत कुमार मोदी,
सहायक-पंजीयक.

(764-B)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) सी/ग के अन्तर्गत कंचन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पत्थर गुराड़िया, पंजीयन क्रमांक 1579, दिनांक 13 जुलाई, 2015 को आदेश क्रमांक 828, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्त के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उपायुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत कंचन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पत्थर गुराड़िया का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करता हूँ तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मनोज जायसवाल,
उप-आयुक्त.

(767)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर, 2016-कार्तिक 20, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक